

(3/11/25)
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी ~~डा. रा. म. का. म. म.~~
होने से प्रकरण दिनांक ... 16/12/25
को पेश हों।

आज्ञा से
(६)
रीडर

16/12/25

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी ~~डा. रा. म. का. म. म.~~
होने से प्रकरण दिनांक ... 17/12/25
को पेश हों।

आज्ञा से
(६)
रीडर

17.12.25 पत्रावली पेडा हुई वारी अधिवक्ता अनुपस्थित/ वारी
अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर पूर्व में ही नोट प्रेष अंकित किया
जा चुका है। जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं
रहती है।

अतः वारीगण का वाद "नोट प्रेष" अंकित किया जाने से
इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।

(अबुला यांड हृष्णा)

IAS